अजिताभ शर्मा, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. 183 जयपुर, 25.09.2020

आदेश

विषय –कृषि उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब भुगतान शुल्क माफी योजना।

पूर्व में कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च, अप्रेल, मई एवं जून 2020 के विद्युत बिलों का भुगतान 30 जून 2020 तक स्थगित किया गया था। स्थगित भुगतान के बिलों की बकाया राशि को माह जुलाई एवं अगस्त में दो किश्तों में बिना विलम्ब शुल्क के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी।

कोविड–19 महामारी जनित आर्थिक परिस्थितियों के कारण, ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपने बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए है, उन्हें राहत देते हुए कृषि उपभोक्ताओं द्वारा लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छुट प्रदान की जाती है।

यह सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है) के उपभोक्ताओं के लिए भी 31 अक्टूबर 2020 तक लागू होगी।

उक्त आदेश तीनों वितरण निगमों में लागू होगा।

25.9.20

(अजिताभ शर्मा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
2. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स

Tel.: +91-141-2744965 (O) • Fax : +91-141-2744187 • email : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in

अजिताभ शर्मा, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. ।84 जयपुर, 25.09.2020

आदेश

विषय –कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के संबंध में।

पूर्व में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये एवं कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू की गई थी जो 31 मार्च 2020 तक प्रभावी थी।

कोविड–2019 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए कृषि उपभोक्ताओं के लिए "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को 31 दिसम्बर 2020 तक लागू किया जाता है। इसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वंय की घोषणा के अनुसार बिना किसी पेनल्टी राशि के मात्र धरोहर राशि (रूपये 30 प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से 02 माह के लिए) जमा करवाकर नियमित करवा सकेंगें।

उक्त आदेश तीनों वितरण निगमों में लागू होगा।

25.9.20.
(अजिताभ शर्मा)
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
2. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

Tel.: +91-141-2744965 (O) • Fax : +91-141-2744187 • email : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in

अजिताभ शर्मा, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. 185 जयपुर, 25.09.2020

आदेश

विषय :– विद्युत चोरी के प्रकरणों के निस्तारण के संदर्भ में।

कृषि विद्युत कनेक्शनों के चोरी के प्रकरणों में सतर्कता निरीक्षण प्रतिवेदन (वी.सी.आर.) के आधार पर जो राजस्व निर्धारण की राशि की मांग की जा रही है, उसको लेकर किसानों की मांग है कि यह राशि अधिक है जो कोविड महामारी जनित विषम आर्थिक परिस्थितियों में जमा कराना संभव नहीं है फलस्वरूप विद्युत अधिकारी विद्युत चोरी के प्रकरणों में मुकदमें भी दर्ज करा रहे है।

इस संदर्भ में किसानों की सुविधा हेतु निर्देश दिए जाते है कि जो कृषि उपभोक्ता वीसीआर मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से राजस्व निर्धारण का निस्तारण करवाना चाहते है, वे यदि कुल निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि आवेदन सहित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत करें तो इसका निस्तारण आगामी 10 दिन में किया जावेगा। विकल्प के रूप में यदि कृषि उपभोक्ता निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा करादें तो सहायक अभियंता स्तर पर ही प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जावेगा।

उक्त आदेश तीनों वितरण निगमों में लागू होगा।

25.9.20

(अजिताभ शर्मा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
2. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स

Tel.: +91-141-2744965 (O) • Fax : +91-141-2744187 • email : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in

अजिताभ शर्मा, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

क्र. अध्यक्ष डिस्काम्स्/प्रावै.सहा./आर.ई./प. /प्रे.।86 जयपुर दिनांक : 25.09.2020

आदेश

विषय–: वर्ष 2020–21 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि तुरंत प्राथमिकता वाले बूँद–बूँद/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपायोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत सभी आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से किया जावे।

दिनांक 31.12.2012 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदन एवं सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग–पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावे।

मांग–पत्र व कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति–2017 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किये जावेंगें।

उक्त आदेश तीनों वितरण निगमों पर लागू होगा।

25.9.20

(अजिताभ शर्मा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स्

Tel.: +91-141-2744965 (O) • Fax : +91-141-2744187 • email : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in